कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

पत्रांक / कौशाम्बी, दिनांक जून 2017।

सेवा में,

मुख्य प्रदेशिक प्रबन्धक,
एच0पी0सी0एल0, कानपुर रिटेल
क्षेत्रीय कार्यालय फैक्ट्री एरिया,
फजलगंज, कानपुर।

विषय :- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-94 (गूरतगंज-महेवाघाट मार्ग) के किमी0 30 से 31 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम सरसवां, तहसील मंझनपुर, परगना अथरवन के अराजी सं0-1530मि0 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.08471 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या- पी-621/14-2-2017-800 (202)/2016 दिनांक 17.05.2017।
(2) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2363/11-री-एफ0पी0/यू0पी0/अदर्श/21706/2016 दिनांक 18.05.2017।
(3) इस कार्यालय का पत्रांक 2392/5-8 दिनांक 06.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तों एवं प्राविधानों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदान की गई स्वीकृति शर्त बिन्दु संख्या- 27 में लिखित है कि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि कैम्पा फण्ड मे जमा करायी जायेगी। इसलिए प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित अग्रिम मृदाकार्य, वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण की धनराशि 67386.00 आन लाइन पोर्टल के माध्यम से ई चालान द्वारा जमा करायी जाए।

बिन्दु संख्या- 7- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0 08471 हे0 X 8.03 लाख) रू0 0.6802213.00 लाख अर्थात रू0 68023.00 की धनराशि आन लाइन पोर्टल के माध्यम से ई चालान द्वारा जमा कराया जाए। उक्त दोनो निधियों की जमा धनराशि की रसीद संलग्न कर अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या- 18- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करें कि यदि एन0पी0वी0 दरों मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैद्धान्ति स्वीकृति मे अंकित बिन्दुओ पर अनुपालन आख्या तीन प्रतियों मे प्रस्तुत करे ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजा जा सके।

भवदीय

(ओ0पी0 अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

संख्या /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ0पी0 अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

D:\D-rax 2011-12\Petrol Pump\Petrol pump 2012.doc